बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या–3/कृ०बजट०प्राक्कलन–01/15– 4549 /कृ0, पटना, दिनांक 7/9/ , 2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

Fax/Mail

सेवा में,

निदेशक, पी०पी०एम०/ निदेशक, उद्यान/ निदेशक, भूमि संरक्षण बिहार, पटना/अपर निदेशक, (शष्य) बिहार, पटना /संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण /कृषि अभियंत्रण, बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/गुण नियंत्रण/कम्पोस्ट एवं वायोगैस, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक–सह– नियंत्रक, माप एवं तौल/संयुक्त निदेशक, (शष्य) पाट पूर्णियाँ/उप निदेशक, (शष्य) पाट, कृषि निदेशालय/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/उप निदेशक, (शष्य) तेलहन/सूचना/ शिक्षा /बीज निरीक्षण/बीज परीक्षण /बीज विश्लेषण, बिहार, पटना/ उप निदेशक कृषि अभियंत्रण/ उप निदेशक,पौधा संरक्षण, पटना/मुजफ्फरपुर / दरभंगा/गया/सहरसा/भागलपुर/उप कृषि निदेशक, मिट्टी जाँच, प्रयोगशाला /गुण नियंत्रण प्रयोगशाला/कम्पोस्ट बिहार, पटना/उप निदेशक, (शष्य) प्रक्षेत्र आरा/पूर्णियाँ/मोतिहारी/उप निदेशक (शष्य) प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र मुशहरी , मुजफ्फरपुर –सह प्राचार्य/सभी सहायक निदेश (रसायन) मिट्टी रसायनज्ञ/सभी सहायक निदेशक पौधा संरक्षण /सभी सहायक निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र /परियोजना पदाधिकारी, दियारा विकास, बिहार, पटना/दलहन विकास पदाधिकारी, बड़हिया/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी /सभी सहायक निदेशक (उद्यान)/ संयुक्त निदेशक, (शष्य) शिक्षा–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सहायक सांख्यिकीज्ञ–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– **वित्तीय वर्ष, 2016–17 का बजट–प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष, 2015–16 का पुनरीक्षित प्राक्कलन भेजने के संबंध मे सामान्य दिशा निर्देश ।**

प्रसंग :– **वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–740 दिनांक–20.08.2015।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष, 2016–17 का बजट–प्राक्कलन एवं 2015–16 का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करने हेतु सामान्य दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। जिसका अनुपालन किया जाना आवश्यक है :–

1. **वित्तीय वर्ष, 2016–17 के बजट प्राक्कलन** :– विभागों द्वारा गत तीन वर्षो के वास्तविक व्यय एवं अन्य विश्वस्त कारकों को ध्यान में रखकर बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना है। बजट को वास्तविक परक बनाया जाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि उतनी ही राशि का बजट में प्रावधान कराया जाना चाहिए जितनी राशि व्यय होना संभावित है। किसी भी उपशीर्ष में राशि प्रावधान करने के समय यह देखने की आवश्यकता है कि पूर्व के वर्षो में उन उपशीर्षो पर कितनी राशि व्यय हुई है। और बचत कितनी है। राशि बचत नहीं हो, ऐसा ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के आधार पर ही बजट प्राक्कलन उक्त उपशीर्ष में किया जाना है।

2. **कार्यरत बल के लिए वेतन एवं जीवन यापन भत्ता** :– स्थापना के लिए राशि का आकलन कार्यरत बल के आधार पर किया जाय। वेतन में मार्च से जून तक के लिए वर्त्तमान वेतन और जुलाई से फरवरी तक के लिए 3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को जोड़कर गणना की जाए। जीवन यापन भत्ता वर्त्तमान में 113 प्रतिशत दिया जा रहा है, एवं वित्तीय वर्ष, 2015–16 में 118 प्रतिशत तक का बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष, 2016–17 के लिए जीवन यापन भत्ता की गणना वेतन के 131 प्रतिशत पर की जाय। मकान किराया भत्ता की गणना वेतन पर देय निर्धारित प्रतिशत के आधार पर की जाए। परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं विशेष वेतन के लिए निर्धारित दर के अनुसार प्रावधान रखा जाना है। अन्य भत्ते जो कर्मियों/पदाधिकारियों को दिए जाते है उसे अन्य भत्ते नामक विषय शीर्ष में सम्मिलित किया जाना है। पुनरीक्षित वेतनमान के कारण किस उपशीर्ष में कितनी बकाया राशि का भुगतान होना है इसकी गणना प्रत्येक